

दिनांक आज्ञा पत्र

18.2.21

अपील नं० 3 दिवस 10वीं-478 व 51 सीडी
दोनों के अपील आदेशों के अंतर्गत

NOTE press
by
[Signature]

श्रावली पेश। वकील अपील ने उपस्थित होकर
जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः
अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील
अपीलाट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे
अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है।
फलस्वरूप अपील अपीलांट नोट प्रेस में खारिज की
जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब
नकमील दाखिल दफन हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
धर्मेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प मुन्सिफ)

